

प्रारूप 21 ग

[नियम 64 देखिये]

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।


63- काशीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

लिलोक सिंह चौमा निवासी टांडा उज्जैन जीवा गाँव (चौमा निवासी)  
काशीपुर, जो (मन्यता प्राप्त/रजिस्ट्रकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) भारतीय जनता पार्टी  
द्वारा खड़े किए/की गयी है। उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान  
भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है/गयी है।

स्थान : शुतपुर

तारीख : 10/03/2022



रिटर्निंग आफिसर

63- काशीपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,  
जनपद ऊधमसिंहनगर।

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of.....63- Kashipur..... Assembly constituency in Uttarakhand State.

In pursuance to the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules 1961, I declare that-

.....Tulok Singh Cheema.....(Name)

Tanda Ujjain Chaiti Gaon (Cheema Niwas) (Address) [sponsored by.....  
P.O. Kashipur, U.S. Nagar.  
Bharatiya Janata Party.....(name of the recognised/registered political party)]

has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Rudrapur

Date : 10<sup>th</sup> March 2022

Signature.....  


Returning Officer.

.....63- Kashipur.....

Assembly constituency

Udham Singh Nagar.